



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

[प्रेस विज्ञप्ति](#)

[दिनांक 01.04.2024](#)

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से नगदी व घटना में प्रयुक्त रॉड बरामद:-

आज दिनांक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कोतवाली शामली के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी की गयी नगदी व घटना में प्रयुक्त रॉड सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 19.03.2024 को श्री राजेश गोयल पुत्र बूलचन्द निवासी पुरानी शिवमूर्ति लाजपतराय थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की दुकान का शटर तोड़कर गल्ले से अज्ञात चोर द्वारा नगदी चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. आरिफ पुत्र रोजूदीन निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की गयी नगदी (3250/-रुपये)।
2. घटना में प्रयुक्त रॉड।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 1078/18 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 1586/18 धारा 379/411 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 1595/18 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 36/20 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 378/20 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
6. मु0अ0सं0 201/21 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
7. मु0अ0सं0 399/22 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
8. मु0अ0सं0 141/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अनिल कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. उ0नि0 मौहम्मद युसुफ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3. है0का0 सोहित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
4. है0का0 आशीष कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 40 लीटर कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 31.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को अवैध 40 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अंकुर पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम मनट मन्टी थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. अजय पुत्र तेजू सिंह निवासी ग्राम मनट मन्टी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 40 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. है0का0 गौरव राणा थाना थानाभवन जनपद शामली।
3. का0 मुकेश कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
4. का0 पिन्टु कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मालैण्डी में गुमशुदा युवक की हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो दिनांक 24.03.2024 को श्रीमती अंजली पत्नी अंजुल निवासी ग्राम मालैण्डी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली द्वारा अपने पति अंजुल पुत्र जनकराज के गुमशुदा होने के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर तहरीर दी थी। वादिया की तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा की तलाश हेतु प्रयास किये जा रहे थे। थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 28.03.2024 को अभियुक्त रवि उर्फ टिल्लू पुत्र सुरेशचन्द निवासी ग्राम मालैण्डी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसने, अपने दो अन्य साथी रुपेश व सबी के साथ मिलकर दिनांक 24.03.2024 को अंजुल पुत्र जनकराज की शराब पीने को लेकर मारपीट कर हत्या कर शव को खेत में दबा दिया था। अभियुक्त रवि उर्फ टिल्लू की निशांदाही पर थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा मृतक के शव को ग्राम मालैण्डी में खेत से बरामद कर मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन एकत्र करते हुये पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी तथा घटना के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये दिनांक 29.03.2024 को घटना में लिप्त अन्य अभियुक्त रवि उर्फ टिल्लू व रुपेश को मृतक के पहने लोअर सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.04.2024 को थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मालैण्डी में गुमशुदा युवक की हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.हनीफ पुत्र हमीद निवासी ग्राम मालैण्डी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 21/2024 धारा 302/201, 120B भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री रामेन्द्र सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3.का0 सचिन शर्मा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

4.का0 सोनू थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

दिनांक 30.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राहुल पुत्र पातीराम निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 762/15 धारा 147/323/324/452/506 थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. मु0अ0सं0 757/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. मु0अ0सं0 134/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. है0का0 विकास कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. है0का0 प्रदीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान कार चालक से 80 हजार रुपये बरामद:-

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त क्रम में आज दिनांक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद शामली के निर्देशन में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत पानीपत बॉर्डर यमुना ब्रिज चैक पोस्ट पर चैकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार रजि० न०- UP85AW4910 की चैकिंग की गयी तो गाड़ी चालक जसवन्त पुत्र रामवीर निवासी ग्राम बन्दी थाना महावन जनपद मथुरा की गाड़ी से 80 हजार रुपये बरामद हुए। उपरोक्त रूपयों के सम्बन्ध में गाड़ी चालक से दस्तावेज मांगे गये तो कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। बरामदगी के सम्बन्ध में आयकर विभाग को सूचना से अवगत कराते हुए थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गाडी चालक:-

1.जसवन्त पुत्र रामवीर निवासी ग्राम बन्दी थाना महावन जनपद मथुरा।

बरामदगी का विवरण:-

1- 80 हजार रुपये नगद।

चैकिंग करने वाली फ्लाइंग स्क्वाड टीम:-

- 1.उ०नि० श्री सतीश त्यागी थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.है०का० गौरव शर्मा थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.का० रिकू राणा थाना कैराना जनपद शामली।
- 4.का० पीयूष दीक्षित थाना कैराना जनपद शामली।
- 5.का० कुशुमवीर थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा मारपीट की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

ज्ञात हो दिनांक 29.03.2024 को श्री रिजवान पुत्र श्री जमशेद निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली पर हुजैफा आदि 07 व्यक्तियों द्वारा स्वयं के साथ मारपीट की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गयी थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस ने मारपीट की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सुफियान पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम मौहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 149/24 धारा 147/148/149/323/325/341/504/506 थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 160/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 प्रदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 अनिल कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय कैराना शामली द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।

1. वर्ष 2002 में अर्जुन पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम शिरकोई थाना मझौला जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 549/21 धारा 379/411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 01.04.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा धारा 379/411 भादवि में दोष सिद्ध करते हुये अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2. वर्ष 2020 में विपिन पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर मु0अ0सं0 139/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 01.04.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा धारा 379/411 भादवि में दोष सिद्ध करते हुये अभियुक्त विपिन उपरोक्त को 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. अर्जुन पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम शिरकोई थाना मझौला जनपद मुरादाबाद ।

2. विपिन पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल एवं शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद शामली पुलिस व हरियाणा पुलिस के अधिकारियों द्वारा गोष्ठी आयोजित कर समन्वय स्थापित किया गया ।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल एवं शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद शामली के सीमावर्ती हरियाणा राज्य के सीमा के थाना बापौली जनपद पानीपत हरियाणा में दिनांक 01.04.2024 को उत्तर प्रदेश व हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी आयोजित की गयी, जिसमें चुनाव से सम्बन्धित सूचना का आदान-प्रदान व बॉर्डर पर सघन चैकिंग एवं दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले असमाजिक तत्वों पर सर्तक दृष्टि बनाये रखे जाने के सम्बन्ध में गहन वार्ता की गयी । गोष्ठी में उत्तर प्रदेश व हरियाणा पुलिस के निम्न अधिकारीगण मौजूद रहे । जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारीगण:-

1. श्री अमरदीप मोर्य-सी.ओ. सर्किल कैराना, जनपद शामली ।
2. श्री वीरेन्द्र कसाना थानाध्यक्ष कैराना, जनपद शामली ।

हरियाणा पुलिस के अधिकारीगण:-

1. श्री नरेन्द्र कुमार-सी.ओ. सिम्बालका जनपद पानीपत, हरियाणा ।
2. श्री धर्मवीर सिंह -डी.एस.पी. हेड क्वार्टर, जनपद पानीपत हरियाणा ।
3. श्री फूल सिंह- एसएचओ सिम्बालका जनपद पानीपत हरियाणा ।
4. श्री संदीप कुमार -एसएचओ सिनौली, जनपद पानीपत हरियाणा ।
6. श्री अतर सिंह -थानाध्यक्ष बापौली, जनपद पानीपत हरियाणा ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पेटी बीयर बरामद:-

आज दिनांक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 पेटी बीयर (12 बोतल) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अनुज पुत्र संजीत निवासी ग्राम जटीपुरा थाना सम्बालका जनपद पानीपत (हरियाणा)।

बरामदगी का विवरण:-

1-01 पेटी बीयर (12 बीयर बोतल किंगफिशर मार्का उ0प्र0)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
2. का0 अंकित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3. मयूर यादव थाना कैराना जनपद शामली।

